न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिह बुरडक (आर०ए०एस०)
रेफरेन्स संख्या :- **11/2018**
प्रार्थी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर तहसील परबतसर जिला नागौर।

अप्रार्थीगण :-

1. रामा पुत्र भादा कौम गुर्जर निवासी बांसेड
2. सुवा पुत्र भादा कौम गुर्जर निवासी बांसेड
3. मूला पुत्र भादा कौम गुर्जर निवासी बांसेड
4. नाथूराम पुत्र रामदीन जाति गुर्जर निवासी बांसेड

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री प्रकाश डूकिया अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- **07.01.2022**

{1} यह रेफरेन्स राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की सेवा में रेफरेन्स कराये जाने हेतू तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

{2} रेफरेन्स के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बांसेड की जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 एंव मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008 में खसरा नंबर 199 कुल क्षेत्रफल 5.16 बीघा भूमि डोली बनाम मंदिर श्री देवनारायणजी महाराज वाके बांसेड के नाम खुद काश्त खातेदारी दर्ज है। ग्राम बांसेड के खसरा नंबर 199 जमाबन्दी सम्वत 2034 से 2037 में रकबा 5.16 बीघा भूमि बिना किसी नामान्तरण के खातेदार रामा, रामदीन, सुवा पिता मादा के नाम अंकित कर दी गई है जो विधि सम्मत नहीं है। जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 में नवीन भू-प्रबंध होने से पुराने खसरा नंबर 199 के स्थान पर नवीन खसरा नंबर 450 कुल क्षैत्रफल 0.94 हैक्टेयर भूमि रामा, सुवा, मूला पिता मादा व नाथुराम पुत्र रामदीन सभी जाति गुर्जर निवासी बांसेड के नाम दर्ज है जो अवैध होने से खारिज योग्य है। इस प्रकार डोली बनाम मंदिर श्री देवनारायण जी महाराज वाके ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

बांसेड मूर्ति शास्वत नाबालिग होने से मूर्ति के नाम दर्ज भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के नाम उक्त भूमि का हस्तांतरण अवैध है। अत: रामा, सुवा, मूला पिता मादा व नाथुराम पुत्र रामदीन सभी जाति गुर्जर निवासी बांसेड के नाम अवैध खातेदारी अधिकार निरस्त कर ग्राम बासेंड के खसरा नंबर 450 कुल क्षैत्रफल 0.94 हैक्टेयर में दर्ज नामान्तरण संख्या 01 अवैध होने से खारिज योग्य है अत: उक्त भूमि को मंदिर श्री देवनारायणंजी महाराज वाके बांसेड के नाम पुन: दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

{3} प्रार्थी तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1,2 एवं 4 बावजूद सूचना के भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 की और से अधिवक्ता श्री प्रकाश डूकिया ने अपना वकालत नामा प्रस्तुत किया।

{4} वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी की और से दिनांक 15.12.2021 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बांसेड की जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 एवं मिसल बदोबस्त 2008 में खसरा नंबर 199 कुल क्षेत्रफल 5.16 बीघा भूमि गलत सेटलमेंन्ट के आधार पर डोली बनाम मंदिर श्री देवनारायण जी महाराज के नाम दर्ज हो गई थी जो गलत है उक्त खसरान कभी भी मंदिर व डोली के नाम नहीं रही तथा उक्त खसरान अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम थी और उन्हीं का उक्त खसरान पर कब्जा काश्त था। तथा ग्राम बासेंड के पुराने खसरा नंबर 199 व नये खसरा नंबर 450 जमाबंदी संवत 2018 से 2021 में रकबा 5.16 बीघा भूमि अप्रार्थी के पूर्वज घासी पुत्र हुक्माराम के नाम दर्ज थी उनके बाद उक्त खसरा नंबर संवत 2022 से 2025 में अप्रार्थी के पूर्वज मादा पुत्र बालू गुर्जर के नाम रही जो सवंत 2026 से 2028 में ही उक्त खसरान उन्ही के नाम दर्ज रही उसके बाद संवत् 2034– 2036 में उक्त खसरा रामा, रामादीन , सुवा, मूला पिता मादा गुर्जर के नाम दर्ज हुई जो लगातार संवत् 2065 से 2084 में भी उनके नाम दर्ज रही। नामान्तकरण संख्या 01 दिनांक 20.10.2014 विरासत द्वारा रामदीन पुत्र मादा के स्थान पर नाथुराम पुत्र रामदीन के नाम दर्ज हुई । सवंत् 2058 से 2061 व 2073 से 2076 से आज तक उक्त खसरा नंबर की भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज रही है। जिन पर शुरू से लेकर आज तक उक्त भूमि पर अप्रार्थी का ही कब्जा काश्त रहा है और अप्रार्थी उक्त भूमि पर रहवासी मकान व जानवरों के बाड़े आदि बना कर निवास कर अपना जीवन यापन कर रहा है। इस प्रकार उक्त भूमि पर शुरू से ही अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने से तहसीलदार द्वारा पेश उक्त रेफरेन्स को खारिज फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{5} बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज ही काश्त करते आ रहे है तथा जिन भी खातेदारों के नाम भूमि दर्ज हुई है वह विधिवत है, अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण के हितों को ध्यान में रखते हुए रेफरेन्स को खारिज किया जाना न्यायोचित है एवं जिन भी खातेदारों के नाम से उक्त भूमि दर्ज है उन्हीं के नाम रखी जावें।

{6} बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम बासेड तहसील परबतसर सम्वत् 2010–2013 तथा जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम बासेड तहसील परबतसर सम्वत 2014–2017 में खसरा नंबर 199 कुल क्षेत्रफल 5.16 बीघा भूमि बनाम मंदिर श्री देवनारायण वाके देह बएतमाम घासी पुत्र हुक्मा कौम गुर्जर सा०देह के नाम खुदकाश्त दर्ज रही है परन्तु बाद की जमाबन्दी संवत् 2018 – 2021 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी के कालॅम संख्या 4 {भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप-जागीरदार और बिस्वेदार या जमींदार)विवरण सहित} में राजस्थान सरकार तथा कालॅम संख्या 5 {नाम कृषक, विवरण सहित और कृषिकार} में बनाम मंदिर श्री महादेवजी वाके देह बएतमाम घासी पुत्र हुक्मा कौम गुर्जर सा०देह की प्रविष्टि कर दी गई तथा जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 में बिना किसी सक्षम आदेश के खसरा नंबर 199 कुल क्षेत्रफल 5.16 बीघा भूमि की खातेदारी मादा पुत्र बालू गुर्जर सा० देह खातेदार के नाम दर्ज कर दी गई जो संवत 2026 से 2029 तक उक्त मादा पुत्र बालू गुर्जर सा० देह खातेदार के नाम दर्ज रही। तत्पश्चात जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 में उक्त भूमि रामा, रामदीन, सुवा, मूला पिता मादा के नाम दर्ज हो गई। नवीन भू प्रबंध द्वारा पुराने खसरा नंबर 199 बदलकर नवीन खसरा संख्या 450 हो गये। जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 01 दिनांक 20.10.2014 द्वारा रामादीन पुत्र मादा के स्थान पर नाथूराम पुत्र रामदीन दर्ज हुआ। इस प्रकार जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में

प्रश्नगत भूमि जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 एंव जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2017 में मंदिर की खुदकाश्त भूमि रही है परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 में बिना किसी सक्षम आदेश के खसरा नंबर 199 कुल क्षेत्रफल 5.16 बीघा भूमि की खातेदारी मादा पुत्र बालू गुर्जर के नाम दर्ज कर दी जो कि पूर्णतः नियम विरूद्ध एवं गैर कानूनी है। चूंकि विधि अनुसार मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर मूर्ति की भूमि में दिये गये खातेदारी अधिकारी विधिक रूप से प्रभावहीन व शून्य है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज अवैध खातेदारी भी प्रभावहीन एवं निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है, रेफरेन्स माननीय निबन्धक महोदय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की सेवा में प्रेषित कर निवेदन है कि तहसील परबतसर के ग्राम बांसेड के खसरा नंबर 450 रकबा 0.94 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण की अवैध दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर तथा नामान्तकरण संख्या 01 अवैध होने से खारिज किये जाकर उक्त भूमि पुनः "मंदिर श्री देवनारायणजी महाराज वाके बासेड" दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)